

कमांक / 272 / गोप. / अ.सा.प्र. / 2015,

बिलासपुर, दिनांक

22 JUL 2015

// अधिसूचना //

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27/3/2015 में लिए गए निर्णय के संबंध में प्रसारित अधिसूचना कमांक 37/बैठक प्रकोष्ठ/2015 दिनांक 16/4/2015 के अनुपालन में परीक्षा अनुशासन समिति (Examination Discipline Committee) द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा 2014-15 के अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरणों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1/ छात्र बिद्युत कुमार कुण्डु- एम.एस.सी.-चतुर्थ सेमेस्टर (रसायन शास्त्र) अनुकमांक-13410010, को श्रेणी 'बी' में प्रावधानित दंड से दंडित किया जाता है ।

श्रेणी 'बी' के अंतर्गत प्रावधानित दण्ड निम्नानुसार है :-

Paper be cancelled, candidate be permitted to appear in suppl / ATKT Examinations, if eligible for the award of suppl. / ATKT.

2/ छात्रा भूमिका दास-बी.काम.-चतुर्थ सेमेस्टर अनुकमांक-13301088 को समिति ने श्रेणी 'सी' का दंड अनुशंसित किया है ।

3/ छात्र उमाशंकर- डी.फार्मा-द्वितीय वर्ष अनुकमांक- 70648 को श्रेणी 'सी' में प्रावधानित दंड से दंडित किया जाता है ।

श्रेणी 'सी' के अंतर्गत प्रावधानित दण्ड निम्नानुसार है :-

Cancellation of Examination, be permitted to appear in the next full examination with all subject .

आदेशानुसार,



परीक्षा नियंत्रक(कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक-

22 JUL 2015

पृ.कमांक / 273 / गोप. / अ.सा.प्र. / 2015,

प्रतिलिपि:-

1/ कुलपति/कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक को कुलपतिजी/कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।

2/ विभागाध्यक्ष, संबंधित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


3/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/उप- कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ ।

4/ अनुभाग अधिकारी/संबंधित प्रभारी, परीक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5/ संबंधित परीक्षार्थी को सूचनार्थ ।

6/ विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

जनसंपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


सहायक कुलसचिव(गोपनीय)